—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 148/2022

उनवान

1. गीता पत्नी राम सिंह
2. प्रभु पुत्र भिया समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नया गांव कास्या, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भगवान,
2. लक्ष्मण पुत्र बीरदा,
3. शान्ति पत्नी रामदेव,
4. राहूल पुत्र रामदेव समस्त जाति रावत नि. नयागांव कास्या नसीराबाद,
5. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजगढ नसीराबाद,
6. मैनेजर, सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा राजगढ नसीराबाद,
7. राज.सरकार जरिऐ तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 11.7.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नया गांव के वंर्किग खसरा नम्बर 5768 के हाल खसरा नम्बर 3230 रकबा 1.96 की आराजी वादीगण की खातेदारी की व वंर्किग खसरा नमबर 5749 के हाल खसरा नम्बर 3233 रकबा 1.30 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज बिरदा की खातेदारी की है। वादी व प्रतिवादी की आराजी का राजस्व मानचित्र सवंत 1951—52 में सही अंकित था। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि के मध्य हाल खसरा नम्बर 2856 उत्तर से दक्षिण में त्रिभुज के रूप में गलत अंकित कर दिया। वादीगण के खेत खसरा नम्बर 5768 के हाल खसरा नम्बर 3230 में वादीगण की भूमि का रकबा 0.82 की दक्षिण दिशा रास्ते तक मिलायी जावे। व हाल खसरा नम्बर 2856 त्रिभुज आकृति को हटायी जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पांबंद किया जावे

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन [illegible] में विधिवत तरमीम की गयी है प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के [illegible] वादीगण द्वारा वाद पेश किया हैं 60 वर्षो के बाद राजस्व अभिलेख में दर्ज [illegible] किया है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है [illegible] किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:10 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण नक्शा दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी गीता का शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

हाल खसरा नम्बर 3230 रकबा 0.82 वादीगण की खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 3233 रकबा 1.30 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज बिरधा पुत्र भिया की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 2856 रकबा 0.25 गे.मु. रास्ता है। वंर्किग खसरा नम्बर 3230 के वंर्किग खसरा नम्बर 5768 व चौसाला खसरा नम्बर 5006 व 3233 के वंर्किग खसरा नम्बर 5749 व चौसाला खसरा नम्बर 4996 है, इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 2856 के वंर्किग खसरा नम्बर 5720 व चौसाला खसरा नम्बर 4978 बने है। चौसाला मानचित्र में खसरा नम्बर 5006 व 4996 के बीच में कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। हाल खसरा नम्बर 2856 के चौसाला खसरा नम्बर 4978 की स्थिति रास्ते के रूप में दोनो खसरा नम्बर के लम्बवत है। वंर्किग मानचित्र में भी आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 5768 व 5749 के बीच में कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। हाल खसरा नम्बर 2856 के वंर्किग खसरा नम्बर 5720 की स्थिति रास्ते के रूप में दोनो खसरा नम्बर के लम्बवत है। इसके विपरित हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 3230 व 3233 के बीच में खसरा नम्बर 2856 त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है। वादीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 3230 व रास्ते के बीच में हाल खसरा नम्बर 2856 भी अंकित कर दिया है जबकि पूर्व के चौसाला व वंर्किग मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर 2856 की स्थिति वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर व रास्ते के बीच में नही थी। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से वाद के तथ्यों का खण्डन नही होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इनद्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता हैं। वादीगण हाल मानचित्र दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम नयागांव के हाल खसरा नम्बर 3230, 3233 व 2856 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गीता बनाम भगवान

दावा बाबत :– 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –148 / 2022
पेश करने की दिनांक –17.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम नयागांव के हाल खसरा नम्बर 3230, 3233 व 2856 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 7 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:10 IST
Reason: SelfAttested